

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक JODHPUR, राजस्थान

क्रमांक: 1435

दिनांक 31/5/22

सचिव

प्रबंध समिति

CENTRAL ACADEMY SEC SCHOOL

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 41018 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, CENTRAL ACADEMY SEC SCHOOL पता SECTOR- 3 KUDI BHAGTSANI, HOUSING BOARD ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय NAGAR NIGAM Jodhpur-South ब्लॉक JODHPUR CITY(U) आसा पासा (पूर्व -पश्चिम, उत्तर दक्षिण) PUBLIC PARK खसरा न. SECTOR-3 को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

क्रमोन्नति	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी	Pr. with Up.Pr. with sec. Only (1-10)
विद्यालय की स्वीकृत क्रमोन्नति कक्षा स्तर	Pr. with Up.Pr. sec. with Higher Sec (1-12)
विद्यालय मान्यता वर्ष से कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचालित करना चाहता है	No
मान्यता का माध्यम	English
स्वीकृत संकाय एवं विषय का विवरण	
विज्ञान संकाय	Physics (Science Stream), Chemistry (Science Stream), Biology (Science Stream), Mathematics (Science Stream), Computer Science
वाणिज्य संकाय	Commerce (Accountancy), Commerce (Business Studies), Economics (Commerce Stream), Mathematics (Commerce Stream), Computer Science, Informatics Practices
कला संकाय	Economics (Arts Stream), Political Science, History, English Literature, Hindi Literature, Sociology, Physical Education, Public Administration, Human science, Computer Science
कृषि संकाय	


 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
 माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर

1. विद्यालय के नवीन मान्यता / क्रमोन्नति के आवेदनों के सम्बन्ध में भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही विद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर की जावेगी। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संस्था संचालक की जिम्मेवारी होगी कि जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, वहां स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय आदि) से स्वयं नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही विद्यालय का संचालन करें।
2. विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
4. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाएँ/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
6. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
7. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
8. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाएंगे।
9. विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएँ संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
10. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।
11. गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जावेगा। ऐसा आरोप प्रमाणित होने पर सम्बन्धित गैर सरकारी विद्यालय के विरुद्ध मान्यता/क्रमोन्नति वापिस लिए जाने की कार्यवाही की जावेगी।
12. Emblems and Name (Prevention of improper use) Act 1950 के तहत विद्यालय के नाम में इंटरनेशनल, इण्डियन, नेशनल, राष्ट्रीय प्रतीक एवं ध्वज, सेना/सैनिक इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अतः विद्यालयों नाम में इनका प्रयोग नहीं किया जावे, यदि विद्यालय के नाम में उक्त का अंकन है तो संस्था/विद्यालय को नाम परिवर्तन हेतु आगामी सत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, विकास न्यास, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड, आदि) को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि संस्था / विद्यालय भूमि के भूरूपान्तरण के सम्बन्ध में प्रचलित विभागीय शर्तों का स्वयं के स्तर पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करें।
5. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

Website : www.rajeduboard.rajasthan.gov.in Contact No. 0145-2632866, 2632867, 2632868

E-mail : secretarybser@gmail.com Affiliation E-mail : bser.manyata@gmail.com

क्रमांक :- मा.शि.बो./सम्बद्धता/2026/

दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक JODHPUR, राजस्थान के आदेश क्रमांक : 338 दिनांक 21.03.2025 एवं विद्यालय के पत्र क्रमांक : OCSE/JDH/KUDI/26-27/11 दिनांक 23.04.2026 के क्रम में निम्नलिखित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्था को वर्तमान नाम के स्थान पर उसके सम्मुख अंकित स्वीकृत नवीन नाम परिवर्तन करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

विद्यालय का वर्तमान नाम	विद्यालय का स्वीकृत नवीन नाम	विद्यालय का स्तर
(विद्यालय कोड-1171578) CENTRAL ACADEMY SR. SEC. SCHOOL, SECTOR-3 KUDI BHAGTASANI HOUSING BOARD, JODHPUR, PINCODE-342005	(विद्यालय कोड-1171578) ORCHIDS CENTRAL SCHOOL OF EXCELLENCE SR. SEC. SCHOOL, SECTOR-3 KUDI BHAGTASANI HOUSING BOARD, JODHPUR, PINCODE-342005	उच्च माध्यमिक

-sd-

सहायक निदेशक (सम्बद्धता)

क्रमांक :- मा.शि.बो./सम्बद्धता/2026/ 939-43

दिनांक 25/5/26

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

0015727

1. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जिला-जोधपुर-342001
2. ए.सी.पी. (आई.टी.एण्ड.सी.सैल) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. उप निदेशक (गोपनीय) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
4. प्रधानाचार्य (विद्यालय कोड-1171578) ORCHIDS CENTRAL SCHOOL OF EXCELLENCE SR. SEC. SCHOOL, SECTOR-3 KUDI BHAGTASANI HOUSING BOARD, JODHPUR, PINCODE-342005
5. अनुभाग अधिकारी (परीक्षा सैल-05) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
6. रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक (सम्बद्धता)